

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक -1851 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, नवम्बर, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

08/12

विषय:- ग्राम मुस्तफाबाद रामपुर रोड तहसील व जिला मुरादाबाद के खसरा सं०-196/03 में प्रोपोस्ड रिटेल आउटलेट सी.एन.जी. स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०९/६९/२०१७/एफ०सी०/११५ दिनांक 18-10-2017.

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (दिनांक 18.10.2017) द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद ने अपने पत्र संख्या-1429/14-1, दिनांक 08-12-2017 द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेख/प्रस्ताव की 3-3 प्रतियां मूल में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है-

Observ No.	Observation of Nodal	Reply
1	Information at A-3 (XVII) (uploaded online) is incomplete as the signature of person making application on behalf of user agency has not been authenticated. The land copy contains a signed paper but the same is Xerox copy	ऑनलाईन पार्ट-1 में अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं०.....25.....पर चस्पा कर दिया गया है।
2	(a) Kml files of proposed forest land are not provided in CD (b) The shape of kml file of proposed forest land on Google earth and geo referenced map do not match with each other (c) Kml file opened on Google earth shows a shift.	ए- के०एम०एल० फाईल सी०डी० में तैयार कर संलग्न कर दी गयी है। बी- के०एम०एल० फाईल सेप का मिलान कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। सी- सिफ्ट का निस्तारण कर संशोधित के०एम०एल० फाईल सी०डी० में संलग्न है।
3	Due to lack of dimensions on lay out plan correctness of area calculation cannot be ascertained	लेआउट प्लान के अनुसार सही Dimension mentioned कर दी गयी है।
4	The certificate under forest 9 Rights) Act 2006 issued from DM Moradabad does not mention regarding rights of pre agricultural communities	संशोधित एफ०आर०ए० ऑन लाईन पार्ट-2 में अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं०-.....45..... चस्पा है।
5	Compensatory afforestation scheme is not as per provisions contained in chapter 3 of FCA handbook 2004 and needs revision.	संशोधित क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम ऑनलाईन पार्ट-2 में अपलोड कर प्रस्ताव के पेज सं०-.....30... पर चस्पा कर दी गयी है।
6	Correct part III & part v shall be uploaded with the proposal.	पार्ट -2 में रिक्मनडेशन में लेटर के साथ पार्ट -3 अपलोड है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 1851 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि - प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुरादाबाद को उनके पत्रांक-1429/14-1, दिनांक 08-12-2017 के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रस्ताव की मूल 3 प्रतियां जलवायु
महेश कुमार
8/12/17

(आर०पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।